न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 52/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 7.6.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

गोतमचंद भण्डारी (मृतक) जरिये कायम मुकामानः–

1. जितेन्द्र भण्डारी आत्मज गोतमचंद भण्डारी जाति महाजन निवासी महावीर मिशन अस्पताल कुन्हाडी कोटा।
2. रमेन्द्र भण्डारी
3. अरूण भण्डारी
   पिसरान गोतमचंद भण्डारी जाति महाजन जेन निवासीगण 397 तीसरी सी सडक जोधपुर
4. नरेन्द्र भण्डारी आत्मज गोतमचंद भण्डारी जरिये पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर जितेन्द्र भण्डारी कुन्हाडी कोटा।
5. प्रभा भण्डारी पुत्री गोतमचंद भण्डारी जाति महाजन निवासी 397 तीसरी सी सडक सरदारपुरा जोधपुर।

...अपीलाट्स

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तेजमल जेन अभिभाषक अपीलाट
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 30.10.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 420/06 धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान सरकार बनाम गौतमचंद भंडारी मे पारित आज्ञा/निर्णय 18.5.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रेस्पो0 कम–1 तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बावत इन्द्राज दुरूस्ती अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी सं0 2030–33 के अनुसार ख0 नं0 47, 47/352, 47/353 की 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि ही गोतमचंद भण्डारी के खाते दर्ज थी किन्तु सेटलमेंट संवत् 2038–57 मे सेटलमेंट विभाग द्वारा उसके खाते उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 78 की रकबा 0.05 है0 व ख0 नं0 84 की 2.84 है0 कुल 2.89 है0 कायम किये गये जबकि गत रकबे के अनुसार रकबा 2.52 है0 ही होता है। इस प्रकार बाद सेटलमेंट गोतमचंद भण्डारी के खाते सेटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटि पूर्ण रूप से 0.37 है0 भूमि अधिक दर्ज करदी गई जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नही था। कानूनन सेटलमेंट विभाग को विद्यमान इन्द्राजों को ही दोहराने का विधिक दायित्व है ऐसी स्थिति मे उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आशय के

प्रार्थना पत्र को दिनांक 15.5.2018 को केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खेडा रसूलपुर पर स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 78 की रकबा 0.05 है0 मे से 0.03 है0 तथा ख0 नं0 84 की 2.84 है0 मे से 0.34 है0 भूमि अधिशेष घोषित कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का तहसीलदार लाडपुरा को आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट चलने योग्य नही होते हुये भी स्वीकार कर जेरअपील आदेश पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजो अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे जवाबदेही एवं दस्तावेज पेश करते हुये पूर्व मे ख0 नं0 47 का रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा होना वर्णित करते हुये उल्लेख किया था कि विवादित जमीन के संबध मे पडोसी काश्तकार मोहनलाल से विवाद चल रहा है मोहनलाल का 1 बीघा तीन बिस्वा जमीन का दावा डिक्री हो चुका है। अपीलांट ने कुछ भूमि 7 बिस्वा पडोसी काश्तकार से लगभग 50 वर्ष पूर्व खरीदी थी जो आबादी की भूमि थी उसे भी अपीलांट की भूमि मे जोड दिया गया था तथा कुछ भूमि पडोसी काश्तकार गजेन्द्रसिंह की अपीलांट की भूमि मे मिला दी गई विवादित भूमि के आस पास कोई सरकारी भूमि नही है। इसलिये सरकारी भूमि अपीलांट की भूमि मे मिलाये जाने का प्रश्न पैदा नही होता है। तहसीलदार लाडपुरा ने जमीन बढने के मामले मे जिला कलक्टर कोटा के यहां रेफरेन्स की कार्यवाही की जिसे तत्कालीन जिला कलक्टर ने दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 17.6.2002 को सरकार का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था किन्तु फिर उन्ही तथ्यो पर राज्य सरकार ने पुनः कार्यवाही करदी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विद्यमान थे कि कोई भी सरकारी भूमि अपीलांट की भूमि मे सम्मिलित नही की गई है, और विवादित भूमि के आस पास कोई सरकारी भूमि ही नही है ऐसी स्थिति मे अपीलांट की भूमि को सिवायचक सरकारी दर्ज करना सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज का अवलोकन नही किया ना ही जेरअपील निर्णय मे अपीलांट के जवाब एवं दस्तावेज मे वर्णित तथ्यो का उल्लेख किया गया। पूर्व मे सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा के जमीन बढने के मामले मे जिला कलक्टर कोटा के यहां रेफरेन्स की कार्यवाही की जिसे तत्कालीन जिला कलक्टर ने दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 17.6.2002 को सरकार का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था किन्तु फिर उन्ही तथ्यो पर राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा ने पुनः कार्यवाही करदी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य विद्यमान थे कि कोई भी सरकारी भूमि अपीलांट की भूमि मे सम्मिलित नही की गई है, और विवादित भूमि के आस पास कोई सरकारी भूमि ही नही है पूर्व मे खसरा नम्बर 47 का रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा था जिसमे से 6 बिस्वा नहर मे चली गई तथा 47/352 व 47/353 का कुल 6 बिस्वा किस्म बदल कर पूर्ववत खातेदार के नाम दर्ज कर दिया गया ऐसी स्थिति मे अपीलांट की भूमि को सिवायचक सरकारी दर्ज करना सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अन्त मे अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2015(1) पेज 10 एवं आरआरटी 2017 (2) पेज 1264 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित होना जाहिर किया।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सरकार जरिये

सदस्य रा० मण्ड०

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा विवादित आराजी के इन्द्राज दुरूस्ती बावत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट दिनांक 18.5.2018 को केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खेडा रसूलपुर मे स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम कुन्हाडी तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 78 की रकबा 0.05 है0 मे से 0.03 है0 तथा ख0 नं0 84 की 2.84 है0 मे से 0.34 है0 भूमि अधिशेष घोषित कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने का तहसीलदार लाडपुरा को आदेश पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एंव राजस्व रिकार्ड का निर्णय दिनांक 18.5.2018 मे उल्लेख नही किया तथा न ही जवाब एवं दस्तावेजो पर कोई गोर किया गया जिससे यह स्पष्ट था कि विवादित भूमि के आस पास कोई सरकारी भूमि नही थी न ही सरकारी भूमि को अपीलांट की भूमि मे सम्मिलित किया गया था तथा विवादित भूमि के संबध मे पूर्व मे सरकार द्वारा रेफ़रेंस की कार्यवाही की गई थी जिसे तत्कालीन जिला कलक्टर ने दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 17.6.2002 को सरकार का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था किन्तु फिर उन्ही तथ्यो पर राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा ने पुनः धारा 136 एलआरएक्ट बावत इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही कर विधिक त्रुटि की है। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही मे दिनांक 3.8.2004 को प्रा0पत्र का बिन्दूवार जवाब पेश कर वर्णित किया गया था कि पूर्व मे खसरा नम्बर 47 का रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा था जिसमे से 6 बिस्वा नहर मे चली गई तथा 47/352 व 47/353 का कुल 6 बिस्वा किस्म बदल कर पूर्ववत खातेदार के नाम दर्ज कर दिया गया ऐसी स्थिति मे विवादित भूमि के आस पास कोई सरकारी भूमि ही नही है और न ही सरकारी भूमि अपीलांट की भूमि मे सम्मिलित की गई है। जवाब मे यह तथ्य भी वर्णित किया जाना प्रकट होता है कि न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं0 1/98 (रेफरेन्स) कार्यवाही अन्तर्गत धारा 82 एलआरएक्ट सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा बनाम गौतमचंद भण्डारी वगेरा मे दिनांक 17.6.2002 को पारित निर्णय अनुसार रेफरेन्स कार्यवाही खारिज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय मे उक्त तथ्यो का समुचित परीक्षण कर विवेचना किये बगेर ही जरेअपील निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है जिससे अपीलांट के इस तर्क को बल मिलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात का समुचित परीक्षण नही किया। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही मे पक्षकारान की आपसी सहमति से ही लिपिकीय त्रुटि सही की जा सकती है। प्रश्नगत कार्यवाही मे उक्त कानूनी प्रावधान का अभाव रहा है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रतिकूल होना प्रकट होता है तथा इस संबध मे हस्तगत अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2015(1) पेज 10 एवं आरआरटी 2017 (2) पेज 1264 चस्पा होते है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय 18.5.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 18.5.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजात का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा